न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

सर्टीफिकेट अपील वाद सं0–01/2007
झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, पाकुड़ एवं अन्य
बनाम
संजय पाण्डेय एवं अन्य
अपीलकर्त्ता के तरफ से – श्री सिद्धार्थ शंकर, अधिवक्ता
उत्तरवादी के तरफ से – श्री अनुप कुमार ओझा, अधिवक्ता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
26.09.2018	**आदेश** यह अपील वाद निलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में निलाम पत्र वाद सं0–10/2002–03 में दिनांक–28.05.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता सुनवाई हेतु न्यायालय में अनुपस्थित है। वाद वर्ष 2007 से लम्बित चल रहा है। इसलिये वाद को अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पर रखा गया। अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निलाम पत्र वाद सं0–10/2002–03 उत्तरवादी देनदार के विरूद्ध इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का बकाया राशि 74,111=45 रूपये (चौहत्तर हजार एक सौ ग्यारह रूपये पैंतालीस पैसे) की वसूली हेतु दायर किया गया। उत्तरवादी (देनदार) झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के उपभोक्ता है। उनका विद्युत कनेक्सन नं0– PQR-2484 L.T.I.S. है। विद्युत कनेक्सन पाकुड़ मालपहाड़ी थाना अन्तर्गत रेलवे साईडिंग में 25 H.P. लोड का क्रशर मशीन चलाने के लिये जे0एस0ई0बी0 के साथ एकरारनामा के आधार पर दिया गया है। एकरारनामा में औद्योगिक क्षेत्र के कनेक्सन में न्यूनतम वार्षिक गारंटी का निश्चित रूप से दो वर्षो तक भुगतान किया जाना अनिवार्य है एवं इस अवधि में एकरारनामा में निहित नियम का उल्लंघन करना उपभोक्ता के इच्छा पर निर्भर नहीं होगा। एकरारनामा में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि उपभोक्ता के द्वारा शर्त्तो का उल्लंघन किया जाता है तो और दो वर्ष तक निश्चित रूप से वार्षिक गारंटी का भुगतान करना होगा। एकरारनामा की तिथि से दो वर्षो तक उत्तरवादी (उपभोक्ता) के द्वारा विद्युत लाईन का उपयोग किया जा सकेगा।	

उपायुक्त पाकुड़ का न्यायालय जिला–पाकुड़ (झारखण्ड)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश [पर की गई] कार्रवाई टिप्पणी, त[ारीख] सहित
1	2	3

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के ट्रान्सफॉर्मर के जलने या अन्य अवरोध की स्थिति में उपभोक्ता को 75% बकाया का भुगतान करने पर ही जले ट्रान्सफॉर्मर की मरम्मति या बदलने के स्थायी आदेश बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया है। लेकिन उत्तरवादी को बकाये का भुगतान करने की सूचना निर्गत करने के बावजूद उनके द्वारा भुगतान नही किया गया, जिस कारण से ट्रान्सफॉर्मर को न ही मरम्मति किया गया और न ही बदला ही गया। परिणामस्वरूप उत्तरवादी को अपनी गलती के कारण क्षति उठाना पड़ा।

अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचना के अनुसार सभी पत्थर क्रशर व्यवसायी उपभोक्ता को बकाया ईंधन अधिभार 1994 से 2000 तक का झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के अनुसार किया गया है। इसमें झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा दावा किया गया बकाया राशि झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के नियम के अनुसार सही एवं उचित है। उपभोक्ता के द्वारा कथित नुकसान उनकी अपनी ही गलती के कारण हुआ है क्योंकि उनके द्वारा झारखण्ड राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का बकाया बिल की राशि भुगतान नही किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम विरूद्ध एवं उपभोक्ता के बीच शर्तों के विपरीत है। निम्न न्यायालय द्वारा एकरारनामा के शर्तों तथा अधिसूचना एवं नियम की विवेचना नही किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश नियम एव कानून के विरूद्ध है, जो निरस्त करने लायक है।

उत्तरवादी की ओर से लगातार कोई पैरवी नहीं हो रही थी। उन्हें दुबारा नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–30.08.2017 को वकालतन के साथ समयावेदन दिया गया। सुनवाई की तिथि 22.11.2017 को दोनों पक्षों की ओर से कोई पैरवी नही पड़ी।

उभय पक्षों के द्वारा मामलें के निष्पादन में लम्बी अवधि से कोई अभिरूची नहीं लिया जा रहा है।

अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई प्रमाण/सबूत दाखिल नही किया गया है जो यह साबित करे कि उत्तरवादी द्वारा जुलाई, 1999 में

ट्रान्सफॉर्मर

उपायुक्त पाकुड़ का ... जिला-पाकुड़ (झारखण्ड)

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

ट्रान्सफॉर्मर जलने तक बकाये विपत्र का 75% राशि जमा नही किया था। दूसरी ओर उत्तरवादी द्वारा अन्तिम बिल जुन, 1999 का भुगतान 31.03.2000 को करने की बात अंकित किया गया है, जिसका खंडन अपीलकर्त्ता द्वारा न ही निम्न न्यायालय में किया गया और न ही अभी तक किया गया है। यानि अपीलकर्त्ता का यह कहना कि उत्तरवादी द्वारा बकाये बिल का 75% जमा नही करने के कारण जले हुए ट्रान्सफॉर्मर को न ही मरम्मति किया गया और न ही बदला ही गया –सही प्रतीत नहीं होता है।

अपीलकर्त्ता Unconsumed unit पर ईंधन अधिभार लगाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। कभी उनके द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पत्रांक–1010/93–430 दिनांक–21.06.1993 से ईंधन अधिभार Unconsumed unit पर भी लागू करने की बात बतायी गयी तो कभी यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में कुछ संस्थाओं के द्वारा आपत्ति पत्र दाखिल किये जाने के कारण उक्त आदेश को लागू नही किया जा सका। पुनः वर्ष 1999–2000 में उक्त आदेश को लागू करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध भारित राशि को उपभोक्ता से 12 (बारह) बराबर किश्तों में भुगतान लिया जा सकता है। आगे उन्होंने यह कहा है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए Unconsumed unit पर ईंधन अधिभार उठा लिया गया है, जो बोर्ड के निदेशानुसार माह–अगस्त, 2002 से लागू है। साथ ही, उससे पहले उक्त आदेश को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब यहाँ विचारणीय बिन्दु यह है कि जब जुलाई, 1999 से ट्रान्सफॉर्मर जल गया था और उत्तरवादी के बार–बार अनुरोध के बावजूद न ही जले हुए ट्रान्सफॉर्मर को बदला गया और न ही उसकी मरम्मति ही किया गया, जबकि उनके द्वारा जुन, 1999 तक का बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया था तो फिर किस बकाया का भुगतान का दावा अपीलकर्त्ता द्वारा किया जा रहा है। Unconsumed unit के ईंधन पर अधिभार वर्ष 1999–2000 से लागू होकर अगस्त, 2002 तक प्रभावी रहा जिसकी अधिकांश अवधि में उत्तरवादी को विद्युत आपूर्त्ति ही नहीं किया गया।

अपीलकर्त्ता द्वारा Unconsumed unit के ईंधन के अधिभार के मद में की गई दावा (Claim) की पुष्टि (Substantiate) करने में विफल रहे है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अपीलकर्त्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति नहीं करने/बाधित रहने की अवधि में भी उत्तरवादी को न्यूनतम चार्ज को छोड़ Unconsumed unit पर भी Surcharge लगने संबंधी कोई कागजात या एकरारनामा की संदर्भित कंडिका का उद्धरण न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। प्राकृतिक न्याय के तहत् बिना विद्युत आपूर्ति का विद्युत का विपत्र उपभोक्ता को भेजकर उसके भुगतान का दावा करना न्यायोचित प्रतीत् नहीं होता है। इतना ही नहीं उस अवधि के लिए Unconsumed unit पर Surcharge लगाना तो किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी ओर अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरवादी को विद्युत की आपूर्त्ति न कर उन्हें आर्थिक क्षति पहुँचाया गया है। उनका यह कहना कि आर्थिक क्षति उनकी अपनी गलती के कारण हुआ है – सही नहीं है। उक्त विवेचन के बिन्हा पर अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को अवगत कराया जाय। अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक–26.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ आदेश पारित किया गया। लेखापित एवं संशोधित 26/9/18 उपायुक्त, पाकुड़। 26/9/18 उपायुक्त, पाकुड़।	

उपायुक्त, पाकुड़ का न्यायालय जिला-पाकुड़ (झारखण्ड)

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.11 17:16:22 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner